

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
1	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।	42000000	64 लाख हितग्राही परिवार इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	
2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य/जिला स्तरीय निगरानी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।	10	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित निगरानी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु 70 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।	
3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करना।	20393	उचित मूल्य दुकान को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियाकलापों को कम्प्यूटरीकरण कार्य से सुदृढ़ किया जावेगा।	
4	कोर पीडीएस - “मेरी मर्जी” योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता सशक्तिकरण है तथा हितग्राही को अपनी पसंद की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा दिलाना है।	17500	योजना का विस्तार राज्य की उचित मूल्य दुकानों में किया जावेगा।	
5	रियायती दर पर आयोडार्इज्ड नमक वितरण	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हांकित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जाता है।	990000	64 लाख राशनकार्ड धारी परिवार इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	
6	अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	गरीब एवं जरुरतमन्द व्यक्तियों को अत्यन्त कम मूल्य अर्थात् 5 रुपये की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराना।	30000	50 नवीन दाल-भात केन्द्रों की स्थापना।	
7	अन्नपूर्णा योजना	65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेशन प्राप्त करने	800		

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
			2015-16		
		की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।		योजनांतर्गत 9000 लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराना।	
8	अंत्योदय अन्न योजना	अति गरीब परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।	450000	16 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना।	
9	शक्कर वितरण योजना	भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से लेव्ही शक्कर कन्ट्रोल आर्डर समाप्त की गई है एवं फ़ीसेल के माध्यम से शक्कर क्य कर राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी अनुक्रम में राज्य में स्थित शक्कर फैक्ट्री से राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित तय राशि 1850 रूपए प्रति किंवंटल तथा उपभोक्ता मूल्य 1350 प्रति किंवंटल घटाने के पश्चात की व्यव्य प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया जाना है।	450000	61 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना।	
10	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह 02 किलोग्राम (प्रति किलो 5 रूपये) की दर से चना का वितरण किया जा रहा है।	4200000	प्रतिमाह 24 लाख कार्डधारियों को पात्रतानुसार चना उपलब्ध कराना।	

परिणामी बजट वर्ष 2015-16

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियाँ 2015-16	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियाँ
11	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण योजना	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के एकमुश्त भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण सुविधा तथा राशन कार्डधारियों को सुगमता से प्रत्येक माह राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 6 टन क्षमता वाले दुकान सह गोदाम का निर्माण ।	30	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के भंडारण हेतु गोदाम निर्माण कराना ।	
12	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्य भंडारण हेतु सहायता ।	राज्य के ऐसे स्थानों के ग्रामीण जहाँ वर्षाक्रितु के दौरान आवागमन अवरुद्ध हो जाते हैं वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपयोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है ।	25000	वर्षाकाल के दौरान पहुँचविहीन हो जाने वाली उचित मूल्य दुकानों में वर्षाक्रितु के पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 4 माह के आबटन की राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण किया जावेगा ।	
13	नाबांड सहायता से गोदाम निर्माण	नाबांड के सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जा रहा है ।	1000000	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भंडारण हेतु 10.38 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूर्ण कराना ।	
14	मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	गैर अनुसूचित विकासखण्डों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को 02 किलोग्राम 10 रुपए प्रतिकिलो की दर से पीली मटर दाल वितरण किया जा रहा है ।	720000	योजना के जरिए प्रतिमाह 35 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करना ।	